



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-84

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 252623 दिनांक 19/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajeev Tandon S/o B N TANDON	पुष्पा टण्डन पत्नी स्व. श्री बीएन टण्डन एवं श्री राजीव टण्डन पुत्र स्व. श्री बीएन टण्डन	56	313.15 SQ. YARD	Private	ASHADEEP ENCLAVE Sector/Block-A	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना आशादीप एनक्लेव-ए के भूखण्ड संख्या 56 क्षेत्रफल 313.15 व.ग. की लीजडीड दिनांक 13.09.2007 को पुष्पा टण्डन पत्नी स्व. श्री बीएन टण्डन एवं श्री राजीव टण्डन पुत्र स्व. श्री बीएन टण्डन के नाम से जारी किया गया है। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 15.06.2013 को एक भूखण्ड स्वामी पुष्पा टण्डन का निधन हो गया है। तत्पश्चात् पुष्पा टण्डन के वारिसान 1. राजीव टण्डन पुत्र 2. कामना कालरा पुत्री 3. स्वपना कपूर, पुत्री 4. राकेश टण्डन, पुत्र। तत्पश्चात्



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पुष्पा टण्डन के हिस्से का उनके वारिसान द्वारा दिनांक 12.08.2025 को रजिस्टर्ड हक त्याग द्वारा कामना कालरा, स्वपना कपूर एवं राकेश टण्डन द्वारा अपने अविभाजित हिस्सा श्री राजीव टण्डन के हक में हकत्याग कर दिया गया। आवेदक राजीव टण्डन द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajeev Tandon S/o B N TANDON को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |